संख्या– /VI/2018–23(01)/2018 टी0सी0

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

खेलकूद अनुभाग–3 **देहरादूनः दिनांकः 05 सितम्बर, 2018**

विषयः भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता–2011 को उत्तराखण्ड राज्य में गठित खेल संघों द्वारा अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0–479 दिनांक 24.07.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री, भारत सरकार के अ0शा0प0सं0 8–13/2012–खेल–III/251 दिनांक 04.05.2018 की छायाप्रति के साथ संलग्न भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता–2011 की प्रति संलग्न कर उत्तराखण्ड राज्य के खेल संघो में स्पोर्टस कोड लागू किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 में भारतीय ओलम्पिक संघ के पदाधिकारियों की अर्हतायें एवं खेल परिसंघों के कार्यकरण में सुशासन और पारदर्शिता तथा अन्य महत्वपूर्ण सार्वभौमिक सिद्धांतों से सम्बन्धित अनुदेश निर्गत किये गये हैं। उत्तराखण्ड राज्य में भी भारत सरकार के अनुरूप ही Adoption of good governance practices के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा भी खेलों एवं खेल से सम्बन्धित विषयों को पारदर्शी एवं कुशल प्रबन्धनीय प्रणाली अपनाते हुये पारदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार द्वारा निर्गत भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता–2011 को शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तराखण्ड राज्य में गठित खेल संघों द्वारा भी अनुपालन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य में गठित खेल संघों हेतु स्पोर्टस कोड (राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011) की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सम्बन्धित संहिता में उल्लिखित दिशा निर्देशों को तत्काल क्रियान्वित करने का कष्ट करें। उक्त संहिता को सुलभ संदर्भ हेतु विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

संख्या-633/VI/2018, दिनांक-5.09.2018 संलग्नक

उत्तराखण्ड राज्य में गठित सभी खेल संघों द्वारा (स्पोर्ट्स कोड) राष्ट्रीय खेल विकास संहिता–2011 का अनुपालन किये जाने सम्बन्धी दिशा–निर्देश

1 भूमिका

1.1 खेलों का विकास एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है, क्योंकि इससे न केवल सक्रिय जीवन शैली बल्कि बाल एवं युवा विकास, समावेशी सामाजिकता एवं राष्ट्रीय सम्मान में भी उन्नयन होता है। खेल मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय है। यह शारीरिक व्यायाम अथवा शौक ही नहीं है वरन् यह जीवन के विविध आयामों को आच्छादित करता है।

1.2 खेल एक राज्य सूची का विषय है अतएव खेलों के विस्तार, उन्नयन एवं कुशल प्रबंधन का सरकार का दायित्व है। केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल संहिता 2011 जारी की गई है, जो राष्ट्रीय स्तर की खेल से जुड़ी संस्थाओं के नियमन एवं नियंत्रण से संबंधित है। राज्य में खेलों के कुशल प्रबंधन हेतु यह आवश्यक है कि राज्य स्तर पर स्थापित खेल संघों का नियमन एवं उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाये। केन्द्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय खेल विकास कोड 2011 के क्रम में राज्य सरकारों से अपेक्षा की गई है, कि वे इस संहिता के आलोक में राज्य में खेलों के कुशल प्रबंधन, नियमन एवं नियंत्रण हेतु नियम व दिशा–निर्देश जारी करें।

1.3 प्रत्येक राज्य में खेलों के संचालन हेतु खेल विभाग अथवा खेल प्राधिकरण आदि स्थापित हैं एवं खेलों में विधावार राज्य खेल संघ एवं राज्य ओलम्पिक संघ उपस्थित होते हैं, जो खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन, प्रशिक्षण के साथ खेल विशेष के क्षेत्र में कार्य करते हैं।

1.4 सरकार के खेल विभाग एवं राज्य खेल संघों एवं राज्य ओलम्पिक संघ के मध्य समन्वय होना अति आवश्यक है। खेल मात्र शारीरिक प्रशिक्षण से ही नहीं जुड़ा होता बरन् शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन आदि भी खेलों से जुड़े होते हैं। अतः राज्य सरकार का दायित्व खेलों के कुशल प्रबंधन एवं नियंत्रण में और बढ़ जाता है। खेलों के नियमन एवं नियंत्रण हेतु समीचीन होगा कि राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 में वर्णित महत्वपूर्ण प्रावधानों को राज्य में भी लागू किया जाये। मुख्यतया इनमें खेल संघों के नियमन एवं नियंत्रण से संबंधी प्रावधान है।

2 परिचय

2.1 खेल और क्रीडा, मानव संसाधन विकास का अनिवार्य हिस्सा है। सरकार द्वारा खेलों के विकास एवं खेलों में उत्कृष्टता को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है। सरकार का यह प्रयास रहा है कि वह खेलों से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं के मध्य समन्वयन हेतु प्रक्रियाओं को निर्धारित करें। संस्थाओं के प्रबंधन में कुशल एवं पारदर्शी व्यवस्था हेतु नियमन करें एवं खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु आधारभूत सुविधाओं, प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधाओं का विस्तार करें।

2.2 खेलों के उन्नयन के लिए आवश्यक है कि निम्न सिद्धान्तों पर कार्य किया जाये–

(I) राज्य खेल संघ एवं सरकार के मध्य स्पष्ट भूमिका।

(II) सरकारी सहायता की पात्रता निर्धारित करने हेतु खेलों की प्राथमिक, सामान्य एवं अन्य श्रेणी में वर्गीकृत करना।

(III) दीर्घकालीन खेल विकास योजना तैयार करना।

(IV) राज्य खेल संघों के प्रशासकीय एवं वित्तीय प्रबंधन पर जोर देना।

(V) खिलाड़ियों की शिकायतों के निवारण हेतु प्रणाली विकसित करना।

3. **पृष्ठभूमि**

3.1 केन्द्र सरकार द्वारा खेलों के उन्नयन हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे है। इसी क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 जारी की है। माननीय न्यायालयों द्वारा भी खेलों में खेल संघों की भूमिका को लेकर निर्णय दिये है। चूंकि खेल संघ राष्ट्र अथवा राज्य का नाम अपने नाम में सम्मिलित करते है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य द्वारा इन्हें संरक्षण प्रदान किया गया है। अतएव राज्य का नाम प्रयोग करने वाले खेल संघों पर राज्य हित में नियंत्रण एवं उनका नियमन किया जाना आवश्रूयक है। राज्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर कार्य करता है। अतः राज्य का दायित्व है कि सभी वर्गों का कल्याण हो एवं न्याय हो। उक्त के दृष्टिगत खेल संघों को भी पारदर्शी एवं कुशल प्रबंधनीय प्रणाली अपनानी होगी। राज्य का यह कर्तव्य है कि वे खेल संघों हेतु दिशा–निर्देश जारी करें।

3.2 राज्य खेल संघ व अन्य संस्थान राज्य की खेल अवस्थापना सुविधाओं व विभाग द्वारा दी जा रही अन्य सुविधाओं की प्रयो करते है एवं राज्य की ओर से राज्य की टीम का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं, इससे राज्य की प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। राज्य को खेल संघों एवं अन्य संस्थानों के कुशल प्रबंधन हेतु दिशा–निर्देश दिया जाना राज्य हित का कार्य है।

4. **उद्देश्य**

4.1 राज्य में खेलों का स्वस्थ वातावरण बनाने एवं खेलों के प्रबंधन में कुशल, सुचारू एवं पारदर्शी व्यवस्था का निर्माण करना।

4.2 राज्य में खेलों के उन्नयन हेतु खेल से जुड़ी संस्थाओं को सहायता उपलब्ध कराना।

4.3 राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखण्ड राज्य को खेलों के क्षेत्र में अग्रणी बनाना।

4.4 पात्र खेल संघ की पहचान करना, प्राथमिकतायें निर्धारित करना, खेल संघों हेतु प्रक्रियाओं को निर्धारित करना आदि।

5. **खेल विभाग, राज्य खेल संघों की भूमिका एवं जिम्मेदारी**

A खेल विभाग

(I) राज्य स्तरीय खेल संघों की मान्यता एवं पंजीकरण हेतु पात्रता एवं शर्तों का निर्धारण।

(II) उन शर्तों का निर्धारण कस्ना, जिनको पूरा करने के उपरान्त राज्य खेल संघ व अन्य संस्थान सरकारी सहायता प्राप्त करने योग्य बन सके।

(III) राज्य खेल संघों में कुशल, पारदर्शी एवं लोकतांत्रिक प्रबंधकीय प्रणाली विकसित करना।

(V) राज्य में खेलों के उन्नयन हेतु लघु एवं दीर्घकालिक विकास कार्यक्रम का संचालन करना।

B राज्य खेल संघ–

राज्य खेल संघ उस खेल हेतु, जिनके लिए उसे संबंधित राष्ट्रीय खेल संघ से मान्यता प्राप्त है, के प्रबंधन, निदेशन, नियंत्रण, विनिमयन, प्रचार–प्रसार, विकास एवं प्रायोजक के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी एवं जिम्मेदार होगें। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के साथ ओलम्पिक चार्टर में

वर्णित सिद्धान्तों, भारतीय ओलम्पिक संघ के चार्टर, संबंधित राष्ट्रीय खेल संघ के संविधान एवं केन्द्र सरकार द्वारा विशेष दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे।

6. **खेलों का वर्गीकरण**

6.1 केन्द्र सरकार की भांति ही राज्य सरकार द्वारा खेल विधाओं के वर्गीकरण हेतु गतिशील मापदण्ड अपनाया जायेगा, जो खेल विधाओं में मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय खेल आयोजनों में प्रदर्शन के आधार पर होगा, जिसके आधार पर मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघों को बेहतर तैयारी हेतु और अधिक प्रेरित किया जा सके।

6.2 दीर्घकालिक विकास कार्यक्रम चक्र 04 वर्ष का होगा एवं इस चक्र की समाप्ति उपरान्त खेलों के वर्गीकरण का पुर्नमूल्यांकन किया जायेगा। खेल विभाग खेलों के वर्गीकरण हेतु समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी करेगा, जिससे पारदर्शिता आदि सुनिश्चित बनी रहें।

7.खेल विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य खेल संघों को मान्यता एवं पंजीकरण

7.1 राज्य खेल संघों को मान्यता एवं पंजीकरण

7.1.1 इसका उद्देश्य राज्य खेल संघों द्वारा बुनियादी मानकों, मानदण्डों प्रक्रियाओं आदि का पालन करना एवं उनके क्रियाकलापों में उन सिद्धान्तों एवं उद्देश्यों का पालन कराना है, जो संबंधित राष्ट्रीय खेल संघ/परिसंघ द्वारा प्रतिपादित किये गये हो और जो अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक चार्टर के सिद्धान्तों, भारतीय ओलम्पिक संघ के संविधान द्वारा वर्णित हो एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप हों।

7.1.2 राज्य खेल संघ, जो सरकार से मान्यता एवं पंजीकरण चाहते हैं, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया अधीन आवेदन देना होगा। आवेदन पर विचार करते समय विभाग अन्य बातों के साथ निम्नलिखित तथ्यों को भी संज्ञान में लेगा–

(I) संस्था की वर्तमान कानूनी स्थिति।
(II) राष्ट्रीय खेल संघ/परिसंघ से मान्यता।
(III) राज्य ओलम्पिक संघ से ओलम्पिक खेल के संबंध में मान्यता।
(IV) राज्य में शीर्ष निकाय के रूप में निर्विवाद स्थिति।
(V) पूरे राज्य में फैलाव।
(VI) राज्य में खेल के विकास एवं विस्तार में संस्था की भूमिका एवं योगदान।
(VII) सभी आयुवर्गों एवं लिंगों हेतु राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन।
(VIII) वित्तीय एवं प्रबंधनीय जवाबदेही।
(IX) निष्पक्ष, पारदर्शी एवं लोकतांत्रिक निर्वाचन।
(X) आयु एवं कार्यकाल सीमा संबंधी दिशा–निर्देश का पालन।
(XI) खिलाड़ियों के हितों एवं कल्याण को संरक्षण प्रदान करना।

7.1.3 गैर ओलम्पिक/गैर कॉमनवेल्थ/गैर एशियाई खेलों के राज्य खेल संघों को सरकारी मान्यता एवं पंजीकरण संबंधी आवेदन पर विचार करते निम्न अतिरिक्त मानदण्डों को संज्ञान में लिया जायेगा–

(I) लोकप्रिय स्वदेशी खेल, जिसका प्रसार सम्पूर्ण प्रदेश में हो
(II) लोकप्रिय स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयी खेल।
(III) ऐसे खेल, जिन्हें मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में सम्मिलित किये जाने की संभावना हो।
(IV) आवश्यक बुनियादीय ढांचे की उपलब्धता।

(V) कोच की उपलब्धता।

7.2 **खेल विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जारी मान्यता एवं पंजीकरण की निरन्तरता**

7.2.1 राज्य खेल संघ को सरकारी सहायता के लिए आवश्यक है कि संस्था खेल विभाग एवं राष्ट्रीय खेल संघ/परिसंघ के साथ भी मान्यता बनाये रखे।

7.2.2 लोकतांत्रिक, स्वस्थ एवं उचित प्रबंधकीय प्रणालियों का पालन करना, जो सभी स्तरों पर अधिक जवाबदेही एवं पारदर्शिता प्रदान करते रहें।

7.2.3 सभी खेल विभाग द्वारा मान्यता एवं पंजीकरण प्राप्त राज्य खेल संघ पदाधिकारियों के निर्धारित कार्यकाल की सीमा का पालन करते रहे।

7.3 **पात्रता की शर्तें**

7.3.1 राज्य खेल संघ को मालिकाना संस्था या भागीदार फर्म के रूप में न होकर एक स्वैच्छिक पंजीकृत निकाय के रूप में कानूनी दर्जा प्राप्त होना चाहिए और उसे उस खेल विधा, जिससे यह संबंधित है, के विकास के एकमात्र प्रयोजन के लिए कार्य करना चाहिए।

7.3.2 राज्य खेल संघ का सुस्पष्ट विस्तृत लिखित संविधान होना चाहिए, जिसमें विशेषकर पदाधिकारियों के निर्वाचन के संबंध में कारगर कार्यकरण, जनरल बॉडी का सही मायनों में प्रतिनिधिक स्वरूप, खिलाड़ियों के हितों की सुरक्षा, खेलों के संवर्धन, लेखों के रख–रखाव और ऑडिट, अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान हो।

7.3.3 राज्य खेल संघ 03 वर्ष से अधिक अवधि के लिए सक्रिय रूप से अस्तित्व में होना चाहिए। संघ द्वारा अपने संविधान में वर्णित सभी बैठकों को ससमय आयोजित किया गया हो।

7.3.4 राज्य खेल संघ में अध्यक्ष, सचिव/महासचिव (जैसा भी नाम हो) और कोषाध्यक्ष पदाधिकारी है। राज्य खेल संघ का कोई भी पदाधिकारी भारतीय ओलम्पिक संघ/राज्य ओलम्पिक संघ को छोड़कर एक ही समय में किसी अन्य राज्य खेल संघ का पदाधिकारी नहीं होगा। अध्यक्ष, सचिव/महासचिव और कोषाध्यक्ष की आयु और कार्यकाल की शर्तें इस प्रकार है–

(a) अध्यक्ष ब्रेक के साथ या बिना ब्रेक के तीन बार के लिए पद धारण कर सकता है।

(b) सचिव और कोषाध्यक्ष लगातार दो कार्यकाल के लिए पद धारण कर सकते है, जिसके बाद पुनः निर्वाचित होने के लिए 04 वर्षों की कूलिंग ऑफ अवधि का होना आवश्यक है।

(c) यह तीनों पदाधिकारी 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर अपने पद का त्याग कर देगें।

7.3.5 कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व अनुमति के बिना खेल संघ में निर्वाचित पद धारण नहीं करेगा अथवा किसी निकाय में, चाहे निगमित हो या नहीं, मे निर्वाचित पद के लिए किसी उम्मीदवार अथवा उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं करेगा। इसके अलावा किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी खेल संघ में 04 वर्ष से अधिक कार्यकाल के लिए या एक कार्यकाल, जो भी कम हो, पद धारण करने की अनुमति नहीं होगी। कार्यकाल गणना हेतु राज्य खेल संघ में पूर्व में निर्वाचित पद पर किये गये कार्यकाल को भी संज्ञान में लिया जायेगा।

7.3.6 भारत सरकार/ राज्य सरकार के अधीन खेल विभाग और इसके प्रशासकीय नियंत्रण वाले निगमों/इकाईओं/संगठनों के अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों का खेल परिसंघों/संघों में कोई निर्वाचित पद धारण करना वर्जित है।

7.3.7 राज्य खेल संघ द्वारा लेखा का मर्केन्टाइल सिस्टम प्रयोग में लाया जाना चाहिए। लेखा नियमित रूप से रखा जाना चाहिए एवं पंजीकृत चार्टेड अकाउण्टेन्ट द्वारा वार्षिक रूप से लेखा परीक्षा की जानी चाहिए।

7.3.8 राज्य स्तर पर खेल विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा एक ही मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत राज्य खेल संघ होगा एवं केवल खेल विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ ही सरकारी सहायता प्राप्त करने के अधिकारी होगें। राज्य खेल संघों को राज्य के 50 प्रतिशत जिला संघों को संबद्ध करना आवश्यक होगा।

7.3.9 राज्य खेल संघों द्वारा सदस्यता जिला इकाइयों तक सीमित रखी जायेगी। यदि संघ द्वारा किसी व्यक्तिगत क्लब अथवा व्यक्ति को विशेष सदस्यता जारी की है, तो ऐसे सदस्यों को संघ की बैठक में मताधिकार प्राप्त नहीं होगा।

7.3.10 राज्य खेल संघ द्वारा सरकार को आम सभा की बैठक एवं अन्य बैठक, जिनमें महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाने हो अथवा बैठक, जिनमें पदाधिकारियों का निर्वाचन होना है, की सूचना बैठकों के आयोजन से पर्याप्त समय पूर्व देनी होंगी। जब भी सरकार उचित समझेगी तब सरकार इन बैठकों हेतु अपना पर्यवेक्षक भेजेगी।

7.3.11 प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तत्काल उपरान्त खेल संघ अपना लेखा तैयार करेगें एवं वार्षिक रिपोर्ट बनायेगें, जिसमें सालभर में की गई महत्वपूर्ण गतिविधियों का उल्लेख होगा। राज्य खेल संघ लेखा परीक्षा हेतु चार्टेड एकाउण्टेन्ट की तैनाती करेगें। संघ के रिकॉर्ड एवं खाते सरकार के लिए पहुंच योग्य होगें एवं जब कभी सरकार द्वारा इन्हें मांगा जाएगा, तो संघ द्वारा इन्हें सरकार को प्रस्तुत करना होगा।

7.3.12 राज्य खेल संघ स्वायत्त होने चाहिए एवं किसी भी प्रकार के दवाब चाहे राजनीतिक, धार्मिक, नस्लीय अथवा आर्थिक प्रकृति के हों, का विरोध करना चाहिए।

7.3.13 राज्य खेल संघों को वर्ष में कम से कम एक बार आमसभा की बैठक बुलानी चाहिए।

7.3.14 राज्य खेल संघ में उत्कृष्ट योग्यता के खिलाड़ियों को सदस्य के रूप में कार्यकाल आधार पर शामिल करना चाहिए। इन सदस्यों को मताधिकार प्राप्त होगा। इनकी संख्या कुल सदस्यों में न्यूनतम 25 प्रतिशत होनी चाहिए। इन सदस्यों का चयन विभाग की सलाह पर किया जा सकता है।

7.3.15 राज्य खेल संघों द्वारा सरकार द्वारा जारी निर्देशों के साथ भारत सरकार द्वारा जारी डोप–रोधी संहित, आयु धोखाधड़ी रोकथाम संहिता, टीम में चयन के लिए नागरिकता मानदण्ड, यौन उत्पीड़न रोकथाम संहिता का पूर्ण पालन किया जायेगा।

7.4 **आवदेन**

7.4.1 राज्य सरकार से मान्यता एवं पंजीकरण हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप पर खेल विभाग, उत्तराखण्ड सरकार को प्रस्तुत करना होगा। पूर्ण आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेखों की सत्यापित अथवा सत्य प्रतिलिपि संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

7.4.2 अन्य कोई ऐसी जानकारी, जो कि मान्यता एवं पंजीकरण के लिए आवश्यक हो, आवेदन पत्र के साथ प्रेषित की जानी चाहिए। किसी तथ्य को छुपाया नहीं जाना चाहिए। भविष्य में उस तथ्य के बारे में पता चलने पर मान्यता निलम्बित या समाप्त की जा सकती है।

7.5 खेल विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा मान्यता एवं पंजीकरण प्रदान किया जाना

7.5.1 राज्य खेल संघ को मान्यता एवं पंजीकरण खेल संघ का अधिकार न होगा वरन् यह खेल विभाग के विवेक पर निर्भर होगा कि संघ मान्यता एवं पंजीकृत किये जाने योग्य है [redacted]

iii. जब राज्य सरकार को यह विश्वास हो जाए की राज्य खेल संघ उस खेल के हित में कार्य नही कर रहा है जिस खेल हेतु उसे राज्य संघ के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो।

iv. ऐसी जांच के उपरान्त जिसमें राज्य खेल संघ की कार्यप्रणाली में गंभीर अनियमितता पायी गयी हो।

v. जब राज्य खेल संघ को संबधित राष्ट्रीय खेल संघ/परिसंघ द्वारा स्थायी रूप से अमान्य अथवा अपने से अलग कर दिया गया हो।

7.7.3 खेल विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जारी मान्यता एवं पंजीकरण के रद्दीकरण से पूर्व संबधित राज्य खेल संघ को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के उचित अवसर प्रदान किए जाऐगें।

7.8 **खेल विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जारी मान्यता एवं पंजीकरण रद्दीकरण के प्रभाव**

7.8.1 खेल विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जारी मान्यता एवं पंजीकरण समाप्त किए जाने के पश्चात् उक्त संघ को किसी प्रकार की सरकारी सहायता उपलब्ध नही करायी जाएगी और न ही वे खेल संबंधी सरकारी अवस्थापना सुविधाओं का प्रयोग कर पाएगें।

7.8.2 खेल विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जारी मान्यता एवं पंजीकरण समाप्त होने के उपरान्त वे अपने नाम में उत्तराखण्ड शब्द का प्रयोग करने के अधिकारी नही होंगे।

7.8.3 खेल विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जारी मान्यता एवं पंजीकरण समाप्त होने के उपरान्त खेल संघ संबंधित खेल विधा हेतु कार्य नही कर पाएगें। उन्हे उनके खेल को राज्य में नियमित एवं नियन्त्रण करने का अधिकार, राज्य टीम चयन करने का अधिकार एवं राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं होगा।

8. **राज्य टीम चयन प्रक्रिया**

8.1 राज्य खेल संघ राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं हेतु राज्य की टीम के चयन हेतु अपनायी जा रही प्रक्रिया एवं चयन ट्रायल/प्रतियोगिताओं की पूर्व सूचना खेल विभाग, उत्तराखण्ड को देगें। विभाग यदि उचित समझेगा, तो उक्त चयन ट्रायल/ प्रतियोगिता हेतु पर्यवेक्षक तैनात करेगा।

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।